

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(23/18)/2018/ दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म0स्वा0का0/84/2007/1326 दिनांक 16.07.2007 द्वारा श्रीमती संगीता देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
1. दिनांक 30.05.2007 से 31.01.2008 तक 247 दिवस का अवैतनिक अवकाश।	1. दिनांक 30.05.2007 से 25.08.2007 तक 88 दिवस का असाधारण अवकाश। 2. दिनांक 11.12.2007 से 15.05.2008 तक 157 दिवस का असाधारण अवकाश।

निदेशालय के आदेश दिनांक 16.07.2007 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(23/18)/2018/1111

दिनांक:- 01/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर